

Court No. - 51

Case :- WRIT - C No. - 24941 of 2023

Petitioner :- Mohd. Umair

Respondent :- State Of U.P. And 5 Others

Counsel for Petitioner :- Vinay Kumar Mishra

Counsel for Respondent :- C.S.C., Rameshwar Prasad Shukla

Hon'ble Chandra Kumar Rai, J.

1. Heard Mr. Vinay Kumar Mishra, learned counsel for the petitioner, Mr. Abhishek Shukla, learned Additional Chief Standing Counsel for the State-respondents and Mr. Rameshwar Prasad Shukla, learned counsel for the respondent- Gram Sabha.

2. In compliance of the order of this Court dated 6.10.2023, instruction dated 25.10.2023 is placed before the Court by learned Additional Chief Standing Counsel for the State-respondents, which is taken on record.

3. Learned Additional Chief Standing Counsel on the basis of instruction dated 25.10.2023 submitted that the plot in dispute i.e. 133 area 0.723 hectare is recorded as pond in the revenue records. He further submitted that C.H. Forms 41 & 45 also demonstrate that the plot in dispute is recorded as pond. He next submitted that the fisheries lease has been executed in favour of one, Reeta wife of Sanjay for 10 years on 21.10.2023, as such, no cause of action survives in the matter and the writ petition is liable to be dismissed.

4. In reply, learned counsel for the petitioner submitted that the suit for injunction filed by the Gaon Sabha was decreed by the trial Court on 13.10.1958 but in appeal the decree of the trial Court has been set aside and the suit filed by the Gaon Sabha has been dismissed. He further submitted that the pond in question is the private pond of the petitioner, as such, the same cannot be auctioned by the state authorities under U.P. Revenue Code, 2006 and the rules framed there under.

5. I have considered the argument advanced by learned counsel for the parties and perused the records.

6. There is no dispute about the fact that Plot No. 133 area 0.0723 hectare is recorded as pond and 10 years fisheries lease has been executed in respect to the plot no.133 in favour of one Reeta wife of Sanjay.

7. the perusal of instruction dated 25.10.2023 sent by the Sub-Divisional Officer, Sagari, Azamgarh will be necessary which are as under:-

"प्रेषक,

उपजिलाधिकारी

सगड़ी आजमगढ़।

सेवा में,

मुख्य स्थायी अधिवक्ता

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

संख्या/रा०लि० 78

दिनांक:-25 अक्टूबर,2023

विषय:- मा० उच्च न्यायालय,इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 24941/2023 मो० उमैर बनाम स्टेट आफ यू०पी० व अन्य में वांछित अनुदेश (Instruction) दाखिल करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक में अपने फैक्स का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा० उच्च न्यायालय में योजित सिविल रिट याचिका संख्या 24941/2023 मो० उमैर बनाम स्टेट आफ यू०पी० व अन्य में अनुदेश (Instruction) दाखिल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के समादर में वांछित अनुदेश (Instruction) निम्नवत् है।

यह कि ग्राम जहीरुद्दीनपुर परगना व तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ की खतौनी सन् 1425 से 1430 फ० के खाता संख्या 00146 में अंकित गाटा संख्या 133 रकबा 0.723 हे० जो पोखरी के नाम अभिलेख में अंकित है, जो जो०च०आ०पत्र 41 व 45 में भी पोखरी के खाते में अंकित है। उद्धरण खतौनी व जो०च०आ०पत्र 41 व 45 की छायाप्रति संलग्न है।

यह कि उक्त पोखरी के 10 वर्षीय मत्स्य पालन आवंटन हेतु दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करने के उपरान्त निर्धारित तिथि 11.11.2022 को नायब तहसीलदार बिलरियागंज की अध्यक्षता में नीलामी करायी गयी।

यह कि नीलामी के उपरान्त पत्रावली में संलग्न मा० न्यायालय प्रथम अतिरिक्त सिविल जज आजमगढ़ अपील नं० 751/1956 नूर मोहम्मद व अन्य बनाम ग्राम सभा ता०फै० 13.08.1958 की प्रमाणित प्रति, जिसमें नूर मोहम्मद आदि की अपील स्वीकार करते हुए अवर न्यायालय के आदेश एवं डिक्री को अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त करते हुए पोकरी को खुदकास्त की आराजी मानते हुए नूर मोहम्मद आदि की भूमिधरी माना है, किन्तु सन् 1358/1359 की खतौनी तक विवादित गाटा संख्या 133 पोखरी के खाते में दर्ज है, जो वर्तमान खतौनी व जो०च०आ०पत्र 41 व 45 में भी पोखरी खाते में है। उक्त पोखरी के मत्स्य पालन आवंटन स्वीकृति के संबंध में कार्यालय के पत्र संख्या 43/एस०टी० दिनांक 08.05.2023 के द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) द्वारा मत्स्य पालन आवंटन स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु विधिक राय दी गयी। तदोपरान्त उक्त पोखरी की सर्वाधिक बोली कर्ता रीता पत्नी संजय निवासी ग्राम जहीरुद्दीनपुर के पक्ष में 10 वर्षीय मत्स्य पालन आवंटन दिनांक 21.10.2023 को स्वीकृत किया गया है। मत्स्य पालन आवंटन स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न है।

अतः महोदय से सादर अनुरोध है कि मा० उच्च न्यायालय के समक्ष वस्तु स्थिति से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(अतुल गुप्ता)

उपजिलाधिकारी

सगड़ी,आजमगढ़।

संख्या / तद् दिनांक

प्रतिलिपि:- श्री रमेश यादव लेखपाल, तहसील-सगड़ी, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ कि ससमय मुख्य स्थायी अधिवक्ता,मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से सम्पर्क कर संदर्भित याचिका में अनुदेश दाखिल कराना सुनिश्चित करें।

8. In the view of the execution of fisheries lease executed on 21.10.2023 in favour of one Reeta wife of Sanjay, petitioner is not entitled to the relief claimed in the writ petition rather petitioner can avail remedy under Rule-59 of U.P. Revenue Code Rules, 2016 in respect to the lease executed on 21.10.2023.

9. The writ petition is ***dismissed*** accordingly.

Order Date :- 30.10.2023

Rameez